सुवा लाल बनाम शिवकरण वगैरह, अपील संख्या 2018/00232, आदेश दिनांक 06.08.2018.

यह अपील श्री राकेश अरोड़ा एड़वोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के आदेश दिनांक 18.06.2018, प्रकरण संख्या 41/2018 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर हों। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। अभिभाषक अपीलांट की प्रार्थना पत्र स्थगन एवं अपील पर एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित आराजीयात पर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार बहैसियत खातेदार काबिज काश्त रहे हैं स्वंय रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा उपरोक्त आराजीयात को सहखातेदारी की आराजीयात होना वर्णित करते हुए बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के सिद्धान्त के अनुसार विभाजन हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया हुआ हैं। उक्त प्रस्तुत वाद पत्र में विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम पेशी पर आक्षेपित आदेश से विशेष भू–भाग के बाबत् वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के कब्जे काश्त में दखंल अंदाजी नहीं करने तथा निर्माण कार्य विशिष्ट भू–भाग पर किये जाने बाबत् स्वीकृति एक पक्षीय रूप से प्रदान की गई हैं एवं धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आक्षेपित आदेश से अपीलांट को पाबंद फरमाये जाने में अवैधानिक त्रुटि कारित की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का वादग्रस्त आराजीयात सम्पूर्ण से किसी प्रकार का सरोकार नही हैं ना ही विभाजन के पूर्व विशेष भू–भाग की आराजीयात पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य किये जाने हेतु उसे लांभावित किया जा सकता हैं। प्रस्तुत वाद में सम्पूर्ण आराजीयात बाबत् किसी भी प्रकार से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की अधिकारिता नहीं रही हैं मिथ्या कथनो के आधार पर राजस्व वाद में न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से न्यायालय हाजा में निहित असीसित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की क्रियान्विति को स्थगित नहीं किया जाता हैं तो आक्षेपित आदेश की आड़ में अपीलांट को उनकी खातेदारी की आराजीयात से महरूम कर दिया जावेगा जिससे अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तु अपील स्वीकार फरमाई जाकर सहायक कलक्टर, दूदू के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.2018 निरस्त फरमाया जावें एवं पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश न्यायहित में जारी किये जावें।

अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (अस्थायी निषेधाज्ञा) व प्रस्तुत जमाबंदियो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार हैं। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा दिनांक 18.06.2018 को एक पक्षीय बहस सुनने के पश्चात सम्पूर्ण आराजीयात बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् आदेश पारित किये हैं। एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को बिना सुनवाई के जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया हैं जो विधि सम्मत नहीं है। न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रकरण का अंतिम निस्तारण करने हेतु रेस्पोडेन्टस की तलबी को पूर्ण करना होगा जिसमें बहुत समय व्यय होगा तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकरी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही होना है इसलिए पक्षकारान के समय व आर्थिक व्ययता का ध्यान रखते हुए प्रस्तुत अपील का इसी स्तर पर निस्तारण करना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के आदेश दिनांक 18.06.2018 को निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (अस्थायी निषेधाज्ञा) पर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का विवेचन कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर इस न्यायालय के आदेश की प्राप्ति से 30 दिवस की अवधि में निस्तारण करें। तब तक विवादित आराजी की मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावें एवं विवादित आराजी में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा का आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।